



DIGITAL
LIFE

क्रमांक / जिडिफाप्रालि / ओएफसी / वनभूमि / 2023-24 / 523
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 27.04.2023

वनमंडलाधिकारी,
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Manendragarh Forest Division Under Korea District of Chhattisgarh State Area-9.406 ha (Reg. No. FP/CG/OFC/43521/2019)

संदर्भ : आपका पत्र क्र./त.अ./2023/2686 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 26.04.2023 ।

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ऑनलाईन अपलोड किये गये फार्म A-Part I में आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व भूमि तथा 21 बिन्दुओं में प्रस्तुत प्रस्ताव में आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के रकबा में अन्तर के संबंध में लेख है कि ऑनलाईन फार्म A-Part I में आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि पृथक-पृथक न होकर वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण दर्ज है, प्रस्ताव में संलग्न डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.17 का अवलोकन करना चाहेंगे वस्तुतः डीजीपीएस 2 Segment में किया गया है, Segment 1 में 161.540 कि.मी. का जिसमें राजस्व वन भूमि 0.269 हे. तथा वनभूमि (आरक्षित एवं संरक्षित वन का योग) 4.638 हे. इस प्रकार कुल 4.907 हे. तथा Segment 2 में 158.780 कि.मी. अंतर्गत राजस्व वन भूमि 0.388 तथा वन भूमि (आरक्षित एवं संरक्षित वन का योग) 4.111 हे. इस प्रकार कुल 4.499 हे. है तथा यही वन भूमि ऑनलाईन फार्म A-Part I में लिखा गया है, ऑनलाईन में पृथक से आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि को पृथक-पृथक अपलोड का ऑप्शन नहीं होने के कारण वनभूमि एवं गैर वन भूमि का रकबा अपलोड किया गया है इस प्रकार ऑनलाईन तथा 21 बिन्दुओं के प्रस्तुत प्रस्ताव में भिन्नता नहीं है ।

कृपया प्रस्तुत प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें ।



असि. वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)

जियो डिजिटल फायबर प्राय.लिमि.

रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि :

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर को सूचनार्थ संप्रेषित ।

